फर्द अहकाम
(नियम-26)

अज अदालत जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

श्री भैरूलाल बंजारा जरिये पावर ऑफ एटोर्नी होल्डर श्री राजु पिता देवीलाल बंजारा निवासी बंजारों का मौहल्ला, बारू, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़

बनाम

राजस्थान सरकार

G.C.M.S. no.- 2021/300 प्र.सं. 193/2021 (रै.वि.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.08.2021	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी एवं अभियोजन अधिकारी उपस्थित। बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने जब्तशुदा वाहन की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना बताते हुए जमानत एवं सुपुर्दगी पर, न्यायालय द्वारा विहित शर्तो पर वाहन संख्या RJ 30 GA 2962 टाटा ट्रक को, वाहन स्वामी को सुपुर्द करने हेतु निवेदन किया। अभियोजन अधिकारी का मुख्य कथन यह रहा कि वाहन को रिलिज करने पर पुनः अवैध कारोबार में काम लेने की पूर्ण सम्भावना है। अतः जब्तशुदा वाहन प्रार्थी को सुपुर्द नहीं किया जावे। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दस्तावेजों के आधार पर निवेदन किया कि उक्त जब्तशुदा वाहन RJ 30 GA 2962 टाटा ट्रक प्रार्थी के नाम है साथ ही थानाधिकारी, पुलिस थाना कपासन ने भी जब्तशुदा वाहन RJ 30 GA 2962 टाटा ट्रक की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना बताया है। रिबटल में अभियोजन अधिकारी ने उक्त वाहन, वाहन स्वामी को जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा पर सौंपे जाने में कोई आपत्ति नहीं होना बताया है। प्रकरण में उभय पक्ष की बहस एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन एवं मनन किया गया। उपलब्ध रिकार्ड से निर्विवाद रूप से स्पष्ट है कि जब्तशुदा वाहन RJ 30 GA 2962 टाटा ट्रक का स्वामित्व प्रार्थी का है एवं जब्तशुदा वाहन RJ 30 GA 2962 टाटा ट्रक की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना बताया है। अतः जब्तशुदा वाहन RJ 30 GA 2962 टाटा ट्रक को 10,00,000/- अक्षरे दस लाख रूपये के जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर विधिक स्वामी को सौंपे जाने के आदेश दिए जाते हैं। (तारा चन्द मीणा) कलक्टर एव जिला मजिस्ट्रेट चित्तौडगढ़	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official